**न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर**
**अपील सूचना अधिकार संख्या 71 / 2022**
(GCMS 2024/2)(212995459036165)

**राधेश्याम गोयल** पुत्र श्री भगवान दास गोयल उम्र लगभग 73 वर्ष निवासी 23 के ब्लॉक, श्रीगंगानगर (राज.)

बनाम

**जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर**

28.08.2024

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी** राधेश्याम गोयल को बार–बार आवाज़ लगाई गई किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 25.08.2022 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एक बिन्दु की सूचना चाही थी। जो लोक सूचना अधिकारी उसे आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करवाई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी राधेश्याम गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 25.08.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थीः

> पत्रांक 1156 दिनांक 22.07.2022 से लेकर आज तक दिनांक अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) के पत्रांक पर श्री महेन्द्र छाबड़ा स्टॉम्प वेण्डर के विरूद्ध की गई कार्[illegible] सम्बन्ध में सूचना व समस्त पत्रावली की प्रमा[illegible] दर्ज करवाने के पत्रांक की प्रमाणित प्रति।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:58:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

**जिला कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर** ने अपने पत्रांक कोष/गंगा/आरटीआई/2022–23/1238 दिनांक 09.11.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि अपीलार्थी/आवेदक श्री राधेश्याम गोयल पुत्र श्री भगवानदास निवासी 23 के ब्लॉक श्रीगंगानगर द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन पत्र इस कार्यालय में दिनांक 25.08.2022 को प्रस्तुत किया गया था जिसे वित्त विभाग, जयपुर (राज.) के पत्रांक एफ11(2)वित्त/राजस्व/07 दिनांक 09.07.2007 के अनुसार कोषालय स्तर की सूचना सबंधित लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के कार्यालय में प्राप्त किये जाने का पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 939 दिनांक 31.08.2022 मय पोस्टल ऑर्डर नम्बर 59एफ288846 राशि 10/– वित्त विभाग के उक्त पत्र की छाया प्रति रजिस्टर्ड डाक से आवेदक/अपीलार्थी को संबंधित कार्यालय से सूचना प्राप्त किये किये जाने का निर्देशित किया जा चुका है। जिसकी छाया प्रति सादर प्रेषित है।
>
> संलग्नः उक्तानुसार।
>
> -sd-
> कोषाधिकारी
> श्रीगंगानगर

**मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया पाया कि** कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर स्वयं लोक सूचना अधिकारी नहीं है। वित्त विभाग के पत्र दिनांक 09.04.2007 के अनुसार अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर उनके कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी हैं इसलिए उनके द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अपने पत्रांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

939 दिनांक 31.08.2022 से उसे लौटा दिया गया था, जो सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है परन्तु फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी यदि पुनः प्रार्थना पत्र पेश करें तो उसे चाही गई सूचनाओं का जवाब, लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के माध्यम से उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है।** आदेश की प्रति **कोषाधिकारी, श्रीगंगानगर** को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाख़िल दफ़्तर हो।

**यह आदेश आज दिनांक 28.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 17:08:38 IST
Reason: SelfAttested